[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2016

अधिसूचना

का0आ0 4058(अ)--केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199क की उपधारा (2) और धारा 199ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) 17 दिसंबर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 प्रवृत्त होती है ; और

(ii) 31 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको या जिससे पहले कोई व्यक्ति उक्त धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा कर सकेगा ।

[अधिसूचना सं0 115/2016, फा0सं0142/33/2016-टीपीएल]

(डा0 टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार